

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया

आदेश

प्रार्थी के खाता "दुरुस्ती प्रार्थना" पत्र में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 की अनुसरण में ग्राम पंचायत लीलावाली/नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ प्रविष्टि को चक 4 एमएमके 1 एलएलडब्ल्यू 2 एमएमके की जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:-

क्र. स.	चक व खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	4 एमएमके 111	अन्तुलादेवी उर्फ शकुन्तलादेवी पत्नि अमर सिंह उर्फ अमरजीत सिंह गोदारा	शकुन्तला पत्नी अमरसिंह
		प्रकाश पुत्र अमर सिंह उर्फ अमरजीत गोदारा	प्रकाश पुत्र अमरसिंह
2	1 एलएलडब्ल्यू 3	अन्तुला देवी उर्फ शकुन्तला देवी पत्नि अमरसिंह उर्फ अमरजीत सिंह	शकुन्तला पत्नि अमरसिंह
3	1 एलएलडब्ल्यू 36	प्रकाश पुत्र अन्तुला देवी उर्फ शकुन्तला देवी	प्रकाश पुत्र अमरसिंह
4	2 एमएमके 44	अन्तुला देवी उर्फ शकुन्तला देवी पत्नि अमरसिंह उर्फ अमरजीत सिंह	शकुन्तला पत्नि अमरसिंह
		प्रकाश पुत्र अमरसिंह उर्फ अमरजीत सिंह	प्रकाश पुत्र अमरसिंह

नोट :-शेष प्रविष्टि/ यदि प्रश्नगत भूमि बैक रहन है तो यथावत रहेगा।



(रमेश देव)

उपखण्ड अधिकारी संगरिया
दिनांक :- 22/6/2023 लीलावाली

क्रमांक :- सम/236

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. तहसीलदार संगरिया को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थीयान शकुन्तला पत्नि अमरसिंह व प्रकाश पुत्र अमरसिंह जाति जाट साकिन लीलावाली।
3. आदेश पत्रावली।

(रमेश देव)

उपखण्ड अधिकारी संगरिया
लीलावाली